Sathe, Shri Vasant
Satyanarayana, Shri B.
Savant, Shri Shankerrao
Shambhu Nath, Shri
Shankaranand, Shri B.
Sharma, Shri Nawal Kishore
Shenoy, Shri P. R.
Tula Ram, Shri
Verma, Shri Sukhdeo Prasad
Yadav, Shri D. P.

MR DEPUTY SPEAKER: The result* of the division is: Ayes: 19; Noes: 74.

The motion was negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We now take up the next Bill.

Shri Vajpayee.

15.35 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Article 124)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

इस विधेयक के अन्तर्गत मैंने अनुच्छेद 124 में संशोधन का सुझाव रखा है। संविधान का अनुच्छेद 124 संघ की न्यायापालिका और यूनियन जुडीशियरी से सम्बन्धित है। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है, मैं उद्धृत कर रहा हूं :

> "124(1) भारत का एक उच्चतम-न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायाधिपति तथा, जब तक संसद विधि द्वारा और अधिक संख्या निर्धारण नहीं करती तब तक, अन्य सात से अनधिक न्यायाधीशों से मिल कर बनेगा।

आगे कहा गया है :

> "(2) उच्चतमन्यायालय के, तथा राज्यों के उच्चन्यायालयों के, ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करके, जिन से कि इस प्रयोजन के लिये परामर्श करना राष्ट्रपति आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम-न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा तथा वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले।"

आगे यह भी कहा गया है, मैं उद्धृत कर रहा हूं :

> "परन्तु मुख्य न्यायाधिपति से भिन्न किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के विषय मे भारत के मुख्य न्यायाधिपति से सर्वदा परामर्श किया जायेगा।"

DR SARADISH ROY *in the Chair*

15.36 hrs.

मैं चाहता हू अनुच्छेद 124 के खण्ड (1) के बाद निम्नलिखित जोड दिया जाये .

> "The seniormost judge of the Suprme Court of India shall be the Chief Justice of India."

अभी तक संविधान मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में कुछ नही कहता। यह तो कहा गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति विचार विनिमय करेंगे लेकिन मुख्य न्यायाधीश किसके विचार विनिमय से नियुक्त होगा, इस संबंध मे

*The following Members also recorded their votes :
AYES: Shri Madhuryya Haldar ;
NOES: Shri Ram Bhagat Paswan and Shri P.M. Sayeed .

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

संविधान मौन है। शायद मौन इसलिए है कि संविधान के निर्माता समझते थे कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के सम्बन्ध मे एक स्वस्थ परम्परा का पालन किया जायेगा, सर्वोच्च न्यायालय में जो वरिष्ठतम न्यायधीश होगा वही मुख्य न्यायाधीश बनेगा। लेकिन जब से इस देश में प्रतिबद्ध न्यायपालिका की चर्चा होने लगी है, जब से जन न्यायालयों की मांग होने लगी है, जब से पार्लमेन्ट को संविधान से और देश से भी बढ़कर मानने की प्रवृत्ति बल पकड़ने लगी है, हमारे मन मे यह सन्देह उत्पन्न होने लगा था कि सरकार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अब किसी स्वस्थ परम्परा के आधार पर नही करेगी, राजनीतिक आधार पर करेगी।

मैंने इस विधेयक की सूचना 20 मई, 1971 को दी थी। उस समय सर्वोच्च न्यायालय में आगे क्या होने वाला है इसकी कल्पना नही की जा सकती थी। लेकिन एक आशका जरूर थ। क्षितिज के ऊपर इस तरह की धुंधली परछाइयां दिखाई दे रही थी जिन्होने हृदय मे यह भय पैदा किया कि सम्भवत. यह सरकार न्यायपालिका की स्वाधीनता और निष्पक्षता पर कुठाराघात करने मे सकोच नही करेगे। इसीलिए इस विधेयक की सूचना दी गई। इसके उद्देश्यों में कहा गया है :

"The object of this constitutional amendment is to ensure the impartiality of the Supreme Court of India. The present constitutional position gives the Government an unlimited power in appointment of the Chief Justice of India. This power may undermine the independence and impartiality of the highest organ of the judiciary, as the Government can fill the vacancies by appointing persons sharing their political views. Therefore, the amendment provides that only the seniormost judge of the Supreme Court becomes the Chief Justice of India."

जो आशंका थी वह तथ्य बन कर सामने आ गई। सर्वोच्च न्यायालय के तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों को ताक पर रख कर एक कनिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। मैं व्यक्तियों में नहीं जाना चाहता। इस चर्चा का यह उद्देश्य भी नहीं है। जो भी न्याय की पीठ पर बैठे, हमारे लिए सम्माननीय है, आदरणीय है।

लेकिन प्रश्न यह है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की कोई प्रक्रिया होगी या नहीं ? अभी तक कहा जाता था कि एक परम्परा है कि वरिष्ठ न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश बनेगा। स्वाधीनता के वर्ष से लेकर अब तक इस परम्परा का पालन या गया, एक अपवाद को छोड़ कर, जिसमे जस्टिस इमाम वरिष्ठ होने के बावजूद भी मुख्य न्यायाधीश नहीं बने क्योंकि वह शारीरिक दृष्टि से अक्षम हो गए थे। लेकिन शेष सभी मामलो से वरिष्ठता के नियम का पालन किया गया। लेकिन इस बार अपवाद कर दिया गया। अपवाद के समर्थन में जो तर्क दिए गए वे न केवल हास्यास्पद थे, उन्होंने सरकार के इरादों को भी बेनकाब कर दिया। विधि मंत्री सदन में विराजमान हैं। उन्होंने 1958 के ला कमीशन द्वारा पेश की गई रिपोर्ट की धूल झाड़ कर, उस पर लगे हुए मकड़ी के जाले साफ करके उस रिपोर्ट को सदन के सामने पेश कर दिया। कहने लगे कि विधि आयोग ने यह सिफारिश की है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति केवल वरिष्ठता के आधार पर नही होनी चाहिये।

ला कमीशन में जस्टिस छागला भी थे। उन्होंने अभी वकील संघ की बैठक में भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि डैबिल स्क्रिपचर्ज कोट किया करता है लेकिन डैबिल के क्रेडिट में यह बात देनी होगी कि वह स्क्रिपचर्ज को सही कोट करता है, गलत कोट नहीं करता है। लेकिन इसी सदन में विधि आयोग की रिपोर्ट ठीक ठीक उद्धृत नहीं की गई। विधि आयोग ने यह भी कहा था कि अगर आपको ऐसी परम्परा

कायम करती है जिसके अनुसार केवल वरिष्ठता के आधार पर चीफ जस्टिस नियुक्त नहीं होगा तो पहले आपको इस नियम को, इस परम्परा की घोषणा करनी चाहिये, उस कन्वेंशन को एस्टेबलिश करना चाहिये, ऐलान करना चाहिये इसके बारे में ताकि आने वाली किसी नियुक्ति के सम्बन्ध में किसी के मन से यह भाव न हो कि उसकी उपेक्षा की गई है, उसे अन्याय का शिकार बनाया गया है, उसे उसके विचारों के लिए दंडित किया गया है। अगर 1958 के बाद फौरन उसे आप स्वीकार कर लेते और यह परम्परा निश्चित हो जाती तो मामला दूसरा था। सरकार ला कमीशन की रिपोर्ट पर सोती रही जमुना में बहुत सा पानी बह गया, अनेक महीने वर्षों में बदल गए और अचानक जब सरकार ने फैसला कर दिया कि हमें तीन वरिष्ठ जजों को उनके अधिकार से वंचित करना है तो सरकार को ला कमीशन की रिपोर्ट को याद आई। लेकिन ला कमीशन ने जो कहा उसको मैं उद्धृत करना चाहता हू

"Above all a person of sturdy independence and a towering personality who would on the occasion arising, be the watch dog of the independence of judiciary"

"ऐसा व्यक्ति चीफ जस्टिस होना चाहिये। ला कमीशन ने यह नहीं कहा कि ऐसा व्यक्ति चीफ जस्टिस होना चाहिये जो एफीशेंट हो, कैपेसिटी रखता हो। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार ला कमीशन की रिपोर्ट के एक हिस्से को स्वीकार कर ले और दूसरे को अस्वीकार कर दे। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू यह नहीं हो सकता। ला कमीशन की रिपोर्ट टुकड़ों में नहीं बांटी जा सकती है। अगर आप ला कमीशन की यह बात मानते हैं कि जज ऐसा होना चाहिये जो न्यायपालिका की स्वाधीनता और निष्पक्षता की रक्षा करे, जिसका व्यक्तित्व केवल सरकार के प्रभाव में न आ जाए तो फिर इस सदन में खड़े हो कर किस नए दर्शन का प्रतिपादन किया गया कि जज ऐसा होना चाहिये जो सरकार की सहायता करे, जज ऐसा होना चाहिये जो फावर्ड लुकिंग हो, इसकी क्या जरूरत थी।

मैं जस्टिस हिदायतुल्ला का भाषण पढ़ रहा था। उन्होंने बड़ी मजेदार बात कही। उन्होंने कहा कि फावर्ड लुकिंग होना चाहिये या "लुकिंग फावर्ड" होना चाहिये। फावर्ड लुकिंग जज नहीं बल्कि ऐसा जो आगे देखे, इनकी हां में हां मिला कर चले और देखे कि उसको और क्या मिलने वाला है। फार्वर्ड लुकिंग का क्या मतलब है ?

सदन में यह भी कहा गया है कि एक जज का दर्शन ऐसा दर्शन होना चाहिये जो सरकार का दर्शन हो, उसका सामाजिक दर्शन होना चाहिये। स्वर्गीय मोहन कुमारमंगलम हमारे बीच में नहीं है। मैं उनको गलत उद्धृत नहीं कर रहा हू। मैं उनकी बात नहीं भूला हू जो उन्होंने उस दिन सदन में कही थी। आज वह हमारे बीच में नहीं हैं। हम सब इस कारण दुखी है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने बड़ी स्पष्टवादिता से सारी बातें कह दी और सरकार बेनकाब हो गई, उसका भांडा फूट गया। कम से कम मैं तो उनकी ईमानदारी की तारीफ करूंगा। उनके विचारों से मेरा मतभेद है, उनके विचारों का मैं विरोधी हू, मैं उनके विचारों को लोकतंत्र के लिए घातक समझता हू। लेकिन उन्होंने बड़ी निर्भीकता के साथ कह दिया कि हमें ऐसा जज चाहिये जो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में कनफ्रंटेशन चल रहा है उसे खत्म कर दे। क्या वर्तमान चीफ जस्टिस ने वादा किया है कि अब यह कनफ्रंटेशन नहीं चलेगा ?

विधि मंत्री कुछ दिन पहले चंडीगढ़ गए थे। वहां उन्होंने कहा कि जजों की फिलोसोफी होनी चाहिये वह जो कास्टीट्यूशन की फिलोसोफी है। लेकिन क्या उनके इस कथन में और स्वर्गीय श्री मोहन कुमारमंगलम के उत्तर

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

मे अन्तर्विरोध नहीं है ? हम मानते हैं कि जजों का दर्शन संविधान का दर्शन होना चाहिये, जज संविधान की शपथ लेता है, जज को बिना किसी भय के, पक्षपात के न्याय करना है लेकिन स्वर्गीय मोहन कुमारमंगलम ने संविधान मे निहित दर्शन की बात नही कही । कही होती तो झगडा खडा न होता । उन्होने कहा कि हमे ऐसा जज चाहिए, जो सरकार की सहायता करे। अगर सरकार की सहायता करने वाला जज होगा, तो सरकार के विरुद्ध अपील करने वाले नागरिक को न्याय कौन देगा ? यह बात सदन मे दोहराई जा चुकी है कि 60 फीसदी मे अधिक मामले सरकार के विरुद्ध होते हैं ये मामले बढ़ेंगे, क्योंकि सरकार अधिकाधिक। आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र को अपने हाथ के नीचे लेती जा रही है और शक्ति का केन्द्रीकरण हो रहा है ।

व्यक्ति को शिकायत हो सकती है । उस के मूलभूत अधिकारों का हनन हो सकता है । तब न्याय के लिये उस को अदालत का दरवाजा खटखटाना पडता है, लेकिन अगर न्याय-मन्दिर मे ऐसा न्याय-मूर्ति बैठा है, जो सरकार की सहायता करने के लिये बैठा है, तो फिर व्यक्ति को न्याय नही मिलेगा, व्यक्तिगत स्वाधीनता की रक्षा नही होगी और मूलभूत अधिकारो का सरक्षण नही होगा ।

मै चाहता था कि इस बात का सदन मे खडन किया जाये, लेकिन खडन नही किया गया है । लीपा पोती करने की कोशिश की गई है । सरदार दरबारा सिंह कह रहे हैं कि खाली कहने मे फर्क है वे माननीय सदस्य श्री मोहन कुमारमंगलम की स्मृति के साथ न्याय नहीं कर रहे है । यह शब्द का अन्तर नहीं है, चिन्तन का अन्तर है, यह दर्शन का अन्तर है। और इस लिये यह विधेयक सरकार को मौका देता है कि वह अपनी स्थिति स्पष्ट करे । सरकार कौन सी बात चाहती है ?

यह कहा जा सकता है कि अगर हम ने संविधान मे यह लिख दिया कि वरिष्ठ जज को ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जायेगा, तो फिर उस अपवाद भी नही किये जा सकेंगे । अगर जस्टिस इमाम जैसे मामले फिर हुए तो क्या किया जायेगा ? मेरा निवेदन है कि अगर जस्टिस इमाम वाले मामले फिर से होंगे, तो यह आशा रखनी चाहिये कि ऐसे व्यक्ति स्वयं त्याग-पत्र दे कर चले जायेंगे । उन के लिये कोई अपवाद गढने की आवश्यकता नहीं है । लेकिन इस आधार पर सरकार को यह अपरिमित अधिकार नही दिया जा सकता है ।

अभी दिल्ली मे सारे देश के वकीलो का सम्मेलन हुआ था । सुप्रीम कोर्ट बार एसोशियेशन ने उस सम्मेलन का आयोजन किया था । ला कमीशन के अनेक सदस्य उस मे शामिल थे । उन को किसी दलगत राजनीति से मतलब नही है । लेकिन वे इस बात के लिये चिन्तित है कि इस देश मे न्यायपालिका की स्वाधीनता सुरक्षित रहेगी या नही । उन्होने माग की है कि सरकार इस सम्बन्ध मे अपना दिमाग साफ करे ।

जब सविधान बन रहा था, तो डा० अम्बेडकर ने कहा था कि यह मामला केवल एक्सीक्यूटिव पर नही छोडा जा सकता है । फिर किस की सलाह ली जायेगी ? ऐसा भी सुझाव आया कि कोई पैनल बनाया जाये, वह पैनल नामो की सिफारिश करे और उन नामो मे से कोई व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश न बने । अगर विधि मंत्री कोई ऐसी व्यवस्था बनाये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन आज की स्थिति को स्वीकार नही किया जा सकता है ।

क्या यह ताज्जुब की बात नही है कि जो अवकाश लेने वाले न्यायाधीश थे, उन्हे भी पता नही था कि अगला मुख्य

न्यायाधीश कौन होगा, उन की जगह कौन लेने वाला है। रिटायरिंग चीफ जस्टिस के प्रति सामान्य शिष्टाचार भी नहीं दिखाया गया। आखिर सरकार को पता था कि वह रिटायर होने वाले हैं, उन का कार्य-काल समाप्त होने वाला है। तो फिर पहले से निर्णय क्यों नहीं लिया गया? इस की घोषणा पहले क्यो नही की गई? ऐन वक्त पर क्यों की गई?

मैंने जस्टिस हिदायतउल्ला के भाषण मे एक बात और पढ़ी। मुझे उस को पढ कर बहुत ताज्जुब हुआ। जस्टिस हिदा-यतउल्ला ने अपने भाषण मे कहा है कि मैं तो सोचता था कि जस्टिस शेलट मुख्य न्यायधीश बनेंगे। जस्टिस हिदायतउल्ला कहते हैं कि वह उन के साथ मजाक किया करते थे

"Hello Shelat! What about taking me to your swearing-in ceremony"

और वे उन को वकेशन जज के नाम से पुकारते थे, लेकिन बात कुछ उल्टी हो गई। जस्टिस हिदायतउल्ला ने यह रहस्योद्घाटन किया है

"I learnt of the supersession of the three Judges and the appointment of Mr Justice Ray at 11 O'clock on the 25th. The news came to me from Ca'cutta It is a most re markable thing that the announcement took place at 3 30 in the afternoon of the day and I knew about it at 11 in the morning."

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. GOKHALE): Whose speech is it?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: This is the speech of the former Chief Justice, Mr. Hidayatulla.

खबर कलकत्ता से आई। अधिकारिक घोषणा बाद मे हुई। सूचना सबेरे मिल गई। अवकाश प्राप्त करने वाले मुख्य न्यायधीश को अन्धेरे मे रखा गया। क्या कारण है इस का?

दूसरा प्रश्न बार एसोसियेशन के सम्मे-लन मे यह भी उठाया गया था कि सरकार तब तक चीफ जस्टिस के बारे मे ऐलान करने से रुकी रही, जब कि फंडामेंट्ल राइट्स के बारे मे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पता न लग जाये। क्या यह बात सच है जिन तीन जजो ने सरकार के पक्ष मे फैसला नही दिया, उन्हे उठा कर ताक पर रख दिया गया, उन्हे उन की वरिष्ठता से वंचित करा दिया गया। उन्हे अपमानित किया गया। जिन्होने सरकार के पक्ष मे फैसला दिया था, उनका मुख्य न्यायाधीश के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया। क्या यह न्यायपालिका की गरिमा को बढ़ाने का तरीका है, क्या यह जनता मे यह विश्वास भरने का ढग है कि उसके मूल भूत अधिकारो की रक्षा होगी, उस के साथ सर्वोच्च न्यायालय मे इन्साफ किया जायेगा।

यह प्रश्न केवल तीन जजो का नही है। मुझे चीफ जस्टिस से भी कोई शिकायत नही है। व्यक्ति के रूप मे वह अच्छे हो सकते है। मै एक सिद्धान्त की बात कह रहा हू। मैं एक प्रणाली को विकसित करने पर बल दे रहा हू। यह बात हमेशा के लिये सरकार के हाथ मे नही छोडी जा सकती है। सरकार को किसी भी मर्यादा मे बाधना होगा और यह विधेयक इस दिशा मे प्रयत्न करता है। सविधान मे लिखा जा सकता है कि जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वह मुख्य न्यायाधीश बनेगा।

अब भी कहा जाता है कि अगर वरिष्ठ न्यायाधीश योग्य न हो, तो? मैं पूछना

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

चाहता हूं कि अगर वह योग्य नहीं हैं, तो वह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे, क्या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने के लिये योग्यता की कोई कसौटियां नहीं है ? जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट मे जज हो सकता है, क्या वह चीफ जस्टिस नहीं हो सकता है ? और क्या कोई कह सकता है कि जो तीन जज सुपरसीड किये गये थे, वे योग्य नहीं थे या उन मे निर्णय लेने की और नेतृत्व देने की योग्यता नहीं थी।

लेकिन सरकार को हां में हां मिलाने वाले जज चाहिये। इस लिये यह अपने को किसी नियम, किसी परम्परा और किसी तरीके मे बांधना नहीं चाहती ? मेरा यह विधेयक इस दिशा मे प्रयास है और मैं चाहूंगा कि सदन इस पर विचार करे और अपना मत दे।

SHRI DINESH CHANDRA GOSWAMI (Gauhati) Mr Chairman, Sir, I congratulate Shri Vajpayee for his very faithful representation of speeches made in the Banquet Hall of Ashoka Hotel But Shri Vajpayee's contention is self-contradictory in the sense that while at the beginning he relied upon the Law Commission's Report to advance his argument that the Law Commission has insisted upon the independence of judgement of persons to be appointed as Chief Justice, he concluded by asking that a man who can go to the Supreme Court and occupy the judgeship of the Supreme Court, why could he not be the Chief Justice when his mettle was tested when he was asked to occupy the position of a Judge of the Supreme Court? May I remind Shri Vajpayee that the Law Commission itself has said that a man who has occupied the post of a Judge of the Supreme Court need not necessarily be fit to be the Chief Justice because what is expected of the Chief Justice of the Supreme Court or the Chief Justice of a High Court is completely different from what is expected of a Judge of a particular court. Because a judge is expected to give judgment but the Chief Justice has certain other executive functions to perform.

In this context, I would like to quote what the Law Commission says:—

> "We have referred to the high and important duties which the Chief Justice of India is called upon to perform It is obvious that succession to an office of this character cannot be regulated by mere seniority For the performance of the duties of Chief Justice of India there is needed, not only a judge of ability and experience, but also a competent administrator capable of handling complex matters that may arise from time to time, a shrewd judge of men and personalities and above all, a person of sturdy independence and towering personality ."

Now Mr Vajpayee referred to the words that he will be a person of "sturdy independence" What do we mean by the words "sturdy independence"? Does it mean that a judge will judge a constitutional matter living in an ivory tower or does it mean that a judge will try to interpret the Constitution, taking the Constitution as a living document? As a lawyer, I know, there is a distinction in the interpretation of an ordinary Law and the Constitution and that has been approved by the most competent judges all the world over While you interpret the Constitution, you must interpret it as a living document. "Sturdy independence' does not mean that you shall have to interpret the Constitution as a dead document, only its letter.

While interpreting the Constitution, you must also keep in mind that you must interpret it in a man-

ner that the Preamble of the Constitution is given effect to. Also, the Constitution is a document which the Government has not given to the people but it is a document which we the people have given to ourselves. What does the Preamble say? It says:

"We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a Sovereign Democratic Republic and to secure to all its citizens:

"Justice, social, economic and political;"

The greatest tragedy in this country is that in the last six years, the Constitution has been interpreted as a dead document. It has been interpreted to favour the vested interests. It has been interpreted in such a manner that the people cannot have justice either social or economic or political. That is the tragedy of this country. And the greater tragedy is that the people like Shri Piloo Mody and Shri Vajpayee in their own interests are trying to create conditions that it helps the vested interests.

Can seniority be the only *sine qua non* for the appointment of the Chief Justice of the Supreme Court? They have said that democracy is in danger. If we look to the democracies of the world, we will find that for the post of the Chief Justice of the Supreme Court, the seniority has never been taken as a criterion. There are reasons behind it. One of the prime reasons is that the Chief Justice of the Supreme Court has a duty to see that he can leave behind him a permanent, a lasting, impression on the court and he may give the court a direction in which to proceed. But, unfortunately, because we followed a convention which I consider unhealthy that a senior judge is made the Chief Justice of the Supreme Court, what we find is that in the last 23 years, we have the misfortune of having 14 Chief Justices of the Supreme Court with Justice Sarkar occupying the Chair for a small period of 3 months and 15 days and Justice Shah for 1 month and 6 days.

How can you expect a Chief Justice with such a short tenure to leave behind him any impression? If no impression is left behind by a Chief Justice of the Supreme Court because of the shortness of the tenure of office, it destroys the character of the organisation.

What do we find in other countries? Australia have had 7 Chief Justices in 70 years, Canada—10 Chief Justices in 73 years, U.S.A.—15 Chief Justices in 173 years and U.K.—8 Chief Justices in 73 years. And in 24 years we have got 14 Chief Justices

A lot has been said about commitment. Now, I, for one, would not like a person to be a Judge or Chief Justice, who is committed to the Government in the sense that he will give his judgments absolutely in favour of the Government. To that extent, I will not like a Judge to be of that nature. But can it be said that a person shall be subservient to Government simply because he has been elevated This is not the first case where you find that a person has been elevated out of his turn This is not the first case that a person in the highest judiciary and in the highest judiciary, I include the High Courts also because, after all, the ordinary poor litigant is more concerned with the lower Judiciary and the High Courts than the Supreme Court. Let us take the case of the High Courts. What we find is that there have been innumerable cases in the High Courts where there have been persons who have been superseded and I think the list will be an extremely long one. Uptill now in this country.... (Interruptions). Yes. sixteen Judges. I am quoting the

[Shri Dinesh Chandra Goswami]

facts. Sixteen Judges were superseded including the two Judges Mr. Justice Hegde and Mr Justice Grover. Has at any time been made any allegation against the Judges on the ground that they are trying to toe the line of the Government because the Government at one time or the other made supersession in their favour? If the argument that because a Judge is superseded or he is given a position out of turn, there is a tendency on his part to help the Government, is accepted, then Mr. Justice Hegde and Mr. Justice Grover are not competent to be the Chief Justice because both Mr. Hegde and Mr Grover have got allegiance to the Government as they were superseded at one time or the other. If you argue that if a person is superseded, he will always have an allegiance to the Government and he will try to please the Government, in that case, your argument should go to the logical extreme that at least Mr. Justice Hegde and Mr. Justice Grover who were superseded and who must have their allegiance to the Government, should never be put in the highest position of this country But we know a judge may be superseded but he does not leave behind that allegiance. After all, when Mr. Vajpayee said that we can have some amount of confidence in the Judges, I think his speech reveals a lack of confidence in the Judges. A man may be superseded but I do hope that a person who occupies the highest position in the judiciary of the country will have the independence to see that his judgments are delivered not in favour of the Govermnent but that he will interpret the onstitution in the spirit that it has to be interpreted

We cannot forget the fact that the people of this country have given a mandate to-day that the constitution must be interpreted in a particular way and the way is that the Constitution must be interpreted to see that an egalitarian society is established and, after all, a Judge, while interpreting the Constitution, cannot forget that fact and if he forgets that fact I will say that he is not acting in an independent manner because he is acting as if almost sitting in an ivory tower. Therefore, I feel that these arguments which have been advanced by my friend, Mr. Vajpayee have no basis whatsoever

Now, if you do take this contention that Superssion is bad, well, in that case you cannot say it only in the case of the Judges of the Supreme Court After all, in many other fields we see that persons are superseded What about the Chief of the Army Staff? After all, the Chief of the Army Staff is a man on whom the security of the country to a great extent depends. Now, in the case of the Chief of the Army Staff we do not follow this precedent. We do not follow this precedent while making appointments to other important positions. In fact, in all portfolios or in all offices where a person is to take decisions where he is to take the highest executive decisions, well, the criteria of seniority is never followed and from that point of view, I feel that the Government has done the most correct thing to break away from the convention.

It has been asked: what did you do with the Law Commission's report for the last sixteen years? May I remind him that a thing which is not proper even if it is continued for eternity, does not become proper. Because it is continued for long it does not become proper. If Government did not follow the Law Commission Report for so many years I feel that was wrong approach. Apart from the Law Commission's recommendations what I feel is that in this matter, in view of the important position of the Chief Justice of the Supreme Court which requires highest administrative capabilities, the selection of the seniormost judge as the Chief Justice is a very unhealthy approach and I complement

the Government for the stand it has taken and for making a departure from this approach recently I oppose this Bill and I hope the House will throw it out

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Burdwan) This Bill which Mr Vajpayee submitted in 1971 has acquired a topical interest because of what happened in last April Sir this House discussed the question of supersession of the three judges of the Supreme Court and the appointment of Mr Justice Ray as Chief Justice of India Then we said, so far as the judiciary is concerned, we are not persons who are particularly enamoured of the way the judiciary functioned Unfortunately in respect of cases where there have been clashes between the vested interests and the interests of the common people, the courts tended to lean more in favour of the vested interests Our contention was that we do not want the Government to have absolute power for picking and choosing persons to be appointed as Chief Justice of this country or for that matter as the Chief Justice of any particular State A feeling has been aroused in the country that because a certain judge or certain judges were not found to be amenable to the wishes of the executive, therefore, they should be made the subjects of attack by the executive But we do not agree with the proposal that has been made by Shri Vajpayee because what it seeks to do is to create a vested right in favour of the senior most judge of the Supreme Court of India to be the Chief Justice of India In other matters as we oppose the vested interests here also, we oppose any constitutional provision which will result in creation of vested right in favour of the seniormost judge of India Mr Vajpayee said that the principle behind this Bill is to ensure the independence and impartiality of Supreme Court. I would like to refer to certain decisions of the Supreme Court in recent years In Golaknath case which Mr Setalvad described as a political judgment, we feel, the Supreme Court arrogated to itself a supra legislative power That was not a correct judgment They entered into an arena where they should not have entered That created considerable difficulties requiring the amendment of the Constitution also Amendment of the Constitution was undertaken which was supported by almost all sections of the House The recent decisions of the Supreme Court in the Fundamental Right case is the most difficult document for us to understand what has been decided upon

This is the position of the Supreme Court So far as Parliament is concerned what can it do to remedy these defects? We are talking about independence of the judiciary But, what we find is that a retired Chief Justice of India is now retained as a lawyer of the Tata firm and I am told that he is getting a retainer's fee of Rs 1 lakh per year That does not speak well of the independence of judiciary in this country

We find an ugly competition amongst the judges who are retired or who are going to retire trying to gain the favour of the Executive and I have been raising this question on the floor of this House in my humble way on various occasions namely that the appointment of the retired judges to various posts which are under the patronage of the Executive has made definite inroads into judicial independence and judicial integrity in the country We find that a retired Chief Justice and the judges of the Supreme Court often become arbitrators in respect of matters where the Government is a party at a fat fee, and our judges are also trying to carry favour of the Executive to head this or that Commission Judges are also very eager to be-

[Shri Somnath Chatterjee]

come Members of the Law Commission. Although during their tenure they have never delivered an illuminating judgment they seen to become the repository of the legal wisdom in this country to be taken straightway to the Law Commission. We do not want this type of judicial independence and judicial impartiality. What is happening throughout the country is this. Most of the retired Supreme Court Judges to-day are employed; whether they reach the age of 70 or 75 that does not matter. But, what is found for them is enough to last for years together so that they can continue to draw the same salary.

Therefore, we submit one thing. The people who are really concerned about their fundamental rights and whose rights are daily being affected wanted a guarantee under the Constitution of their right to living wage of the right to work, etc. But they have been denied these rights.

So far as implementation of the Directive Principles in the Constitution are concerned, in this country, whatever little right has been given, it has repeatedly been denied. Inroads have been made by the courts even in the limited spheres. When we find that the Supreme Court is going on violating what can we do? We remember Supreme Court giving time so that amendments could be brought forward by Government to nullify the effect of the judgment that was given striking down certain provisions of the Maintenance of Internal Security Act. We have seen it—I am sure, Shri Gokhale will agree with me—that a sort of tussle goes on in the matter of Industrial Tribunal Act. When there is a dispute between the workmen and employers or when there is a dispute between the big business men and their employees and when there are disputes or when there are habeas corpus procedings and when there are such Draconian laws, what is the attitude that is taken? We say we have no special feelings of being enamoured about the courts in this country. Therefore, we suggest that the people should be the greatest beneficiary of the legal system in this country—common people. I feel that the people's voices should be accounted in the matter of selection of judges and the appointment of judges since we have no forum of election of judges in this country.

I cannot support the mover of this Bill who has brought forward this Bill. The Government should bring forward such a Bill so that we can have the views of the people's representatives in this country as to the suitability or otherwise of the judges of the Supreme Court or the Chief Justice of Supreme Court. Therefore we do not support the principle that is put forward in this Bill as it is unworkable. We also do not want to give uncontrolled power to the Government to make choices on the basis of their unexplained suitable social philosophy which our great and learned friend the late Mr. Mohan Kumaramangalam put forward on the floor of this House.

So far as the Law Commission's recommendations are concerned, they have been referred to by my hon. friends Shri Atal Bihari Vajpayee and also Shri Dinesh Chandra Goswamy. It is no doubt true that the Government of this country never thought of implementing the Law Commission's recommendations made in 1953. They were sought to be made handy for the purpose of justifying a decision which might otherwise not be fully justifiable. The principle laid down by the Law Commission is that they should be

persons of sturdy independence and towering personalities and watchdogs of democracy. We do not want that these matters should be left completely in the hands of the executive whose *bona fides*, I am sorry to say, are not always not suspect, or that these matters should be decided in the corridors of power in the South Block or the North Block or wherever it may be. Therefore, these are matters on which we want that the people's representatives should give their views. When we have found that in cases of democratic urges and aspirations of the people, their rights are being taken away, at least, let them have this right that their cases or their affairs or their difficulties or their disputes may be decided by judges, in whom they have faith, and about whose choices and appointments and selections, the people's representatives have had something to say.

Otherwise, a mere constitutional provision regarding the method of appointment of judges will not cure the defects that have crept in in the judicial body of this country

So far as we are concerned, we express our opposition to this Bill, but we say at the same time that some method should be found out, and we certainly do not wish to give to Government absolute and unchecked power to ppoint judges as they are now claiming.

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : सभापति जी, मैं बाजपेयी जी के इस एक लाइन के विधेयक, कांस्टीट्यूशन (अमेन्डमेन्ट) बिल, के सम्बन्ध में विरोध स्वरूप खडा हुआ हू । बाजपेयी जी का यह सशोधन विधेयक ऐसा हैं कि जिस के जरिए से सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जो जज होगा वह सुप्रीम कोर्ट का जीफ जस्टिस बन सकेगा । अभी बाजपेयी जी स्वय कह रहे थे कि जस्टिस इमाम के मामले मे एक ऐसा वक्त आया जब चूंकि वे शारीरिक तरीके से अस्वस्थ थे, इसलिए उन को सुपरसीड कर के दूसरे जज को जीफ जस्टिस बनाया गया और इस बात का उन्हो ने समर्थन भी किया कि वह वाजिब था लेकिन उन का स्वय का जो कास्टीट्यूशनल अमेन्डमेन्ट बिल है वह तो इस प्रक्रिया को भी समाप्त कर देता हैं इस बिल को यदि स्वीकार किया जायेगा उस का नतीजा यह होगा कि कोई भी जज जा सीनियरमोस्ट हो वह भले ही शारीरिक तरीके से अस्वस्थ हो, दिमागी तरीके से उस की हालत ठीक न हो तो भी वह चीफ जस्टिस अपने आप बन जायेगा । (व्यवधान)

तो मैं यह कह रहा था कि मेरी समझ में नही आता कि इस तरह का बिल बाजपेयी जी जैसे समझदार आदमी ने कैसे पेश कर दिया । वैसे वे भविष्यवक्ता बनने की बात कह रहे थ कि 1971 मे ही उन्हो ने इस बात का अन्दाज लगा लिया था कि ऐसा कुछ होगा लेकिन इस साधारण से बिल मे उन्हो ने इस बात की कोई गुजाइश नही छोडी कि सरकार को ऐसे अवसरो पर भी कोई डिस्क्रीशन होना चाहिए । यह तो इस बिल की बात रही ।

इस बिल के साथ साथ उन्हो ने जिस तरह की एप्वान्टमेन्ट की फिलास्फी की बात की और इस देश में पिछले दिनो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज का सुपर्सेशन हुआ, उस के सम्बन्ध मे जो कुछ हुआ, उस की चर्चा करते हुए कहा कि इस से देश मे न्यायपालिका मे जो लोगों की आस्था हैं वह डगमगा गई—मैं उन की इस राय से सहमत नही हू । मैं यह जरूर मानता हू कि न्यायपालिका को स्वतन्त्र रहना चाहिए, उस की स्वतन्त्रता मे कोई दखलअन्दाजी नही होनी चाहिए और उस को स्वतन्त्र तरीके से काम करने की गुंजाइश होनी चाहिए । लेकिन केवलमात्र यह कह देने से कि सुपर्सेशन हो गया किसी एक जज का या दो जजों के बजाये किसी तीसरे व्यक्ति को चीफ जस्टिस बना दिया गया इस से न्यायपालिका की स्व-

[श्री नवल किशोर शर्मा]

तन्त्रता में कहीं बाधा पैदा हो गई—यह बात मेरी समझ में नही आती। मैं यह मानता हूं कि न्यायपालिका का एक फर्ज है, एक दायित्व है, न्यायपालिका खाली इसलिये नही है कि वह कानून को जैसा चाहे वैसा इन्टरप्रेट करे। मैं इस बात से सहमत हूं कि इन्सान की खुद की एक फिलासफी होती है, हर एक आदमी की अपनी फिलास्फी होती है। बाजपेयी जी की भी अपनी फिलास्फी है और वे उसी फिलास्फी के आधार पर अपनी बात सदन में रखते है। अभी हमारे मित्र चटर्जी बोल रहे थे, उन की भी अपनी एक फिलास्फी है जिस के आधार पर वे अपनी बात कहते हैं। श्री पी0 के0 देव साहब बोलेंगे, उन की भी अपनी एक फिलास्फी है जिस के आधार पर वे कहेंगे। मैं मानता हू कि जजेज की भी अपनी एक फिलास्फी होती है और जजेज की अपनी फिलास्फी होने के कारण ही तो एक जज एक तरीके से सोचता है और दूसरा जज उसी बात को दूसरी तरह से सोचता है। इस कारण जजेज की राय भी कांफ्लिक्टिंग होती है, उन में भी मतभेद होता हैं। इसलिए जहां तक फिलास्फी का ताल्लुक है, उन में भी मतभेद होना है। इसलिए जहां तक फिलास्फी का ताल्लुक है, कान्स्टीट्यूशनलमामलों में वह बड़ा अहम रोल प्ले करती है उस की बड़ी अहमियत होती है। फिर जिस तरह की फिलास्फी के जजेज होगे वैसा ही कांस्टीट्यूशनल मामलों में उन का दृष्टिकोण भी होगा अपना फैसला देने में। इस लिहाज से मैं स्वर्गीय कुमारमगल जी की राय से इत्तफाक करता हूं कि जजेज की फिलास्फी एक इम्पाटेन्ट बात है जिस पर हम को सोचना पड़ेगा, पार्लियामेन्ट को सोचना पड़ेगा कि जज जिस तरह से सोचते हैं अगर उन की फिलास्फी देश की तरक्की में बाधक होती है, यदि उन की फिलास्फी देश को आगे ले जाने में बाधक होती हैं, देश में उन मामलों को लागू करने में बाधक होती हैं जिन के जरिए से देश आगे बढ़ सकता है, जिन के जरिए से देश के मदे और सवालात हल हो सकते हैं तो मैं मानता हूं वे जज जज रहने के लायक नहीं हैं। ऐसे मौके पर हम को फैसला करना पड़ेगा कि हम किस जज को पसन्द करें। इसलिए इस हद तक मैं स्वर्गीय कुमारमंगलम साहब की राय से इत्तफाक करता हूं लेकिन मैं यह जरूर मानता हू कि यह सब होते हुए भी ज्यूडीशियरी इन्डेपेन्डेन्ट रहनी चाहिए। खाली किसी आदमी को हटाकर उसकी जगह दूसरे को चीफ जस्टिस बना दिया गया इससे न्यायपालिका में लोगो की आस्था गिरती है, मैं इस बात को नहीं मानता यही कारण है कि हमारे इस संविधान के निर्माताओं ने संविधान बनाते समय इस बात की छुट्टी रखी, इस बात को खुला रखा। बाजपेयी जी कह रहे थे शायद उन्हों ने सोचा था कि अच्छी परम्परएं कायम होंगी, अच्छी परम्पराओं के मुताबिक यह काम किया जायेग तो हम ने अच्छी परम्परायें कायम की हैं और अच्छी परम्पराओ के आधार पर ही हम चल रहे हैं। हम किसी जज को बिना किसी मतलब के सुपरसीड करना नही चाहते हैं। लेकिन अगर कोई कारण है तो उस अवस्था में इस तरह का प्रावधान लाने का मतलब यह होगा, बिल का समर्थन करने का मतलब यह होगा कि कोई चाहे शारीरिक तरीके से अस्वस्थ हो उसको चीफ जस्टिस इसलिए बना देना होगा कि वह सीनियर मोस्ट है। सरकार और न्यायपालिका के सम्बन्धो का यह झगड़ा नहीं है। यह झगड़ा असल मे मूलभूत अधिकारो का है, इस बात का है कि सरकार द्वारा पारित कानूनों का इंटरप्रेटेशन किस तरह से किया जाता है, कानून जो लोगो के मूलभूत अधिकारों से सम्बन्धित है उनका इंटरप्रेटेशन किस तरीके से किया जाए, किस फिलोसोफी के साथ किया जाए। मुझे स्पष्ट कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि सरकार ने इस दृष्टिकोण से जो कदम उठाया है वह सही उठाया है और यह विधेयक इसीलिये ना मंजूर किये जाने लायक है। ला कमीशन ने इस बातको सपोर्ट किया है

उसने कहीं नहीं कहा कि स्वतन्त्रता के ऊपर किसी तरह की पाबन्दी होनी चाहिए, निष्पक्षता के ऊपर किसी तरह की पाबन्दी होनी चाहिए। जहां तक 1958 के लागू करने की बात है, उस वक्त इसकी जरूरत नहीं समझी गई। सरकार ने आज जरूरत महसूस की और उसके अनुकूल कार्य कर दिया। इसको आप घोषणा मान लें अब। क्या फर्क पड़ गया? आगे के लिए तो रास्ता खुल गया है। मैं समझता हूं कि इस बिल का कोई भी सदन का समझदार व्यक्ति समर्थन नहीं करेगा। नासमझों की बात मैं नहीं कहता।

श्री दरबारा सिंह (होशियारपुर): वाजपेयी जी ने एक बार फिर इस सवाल को सदन में खड़ा किया है जिस पर काफी बहस हो चुकी है। हम समझते हैं कि इस एमेंडमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि वे सारे रास्ते खुल जायेंगे जिससे तमाम हालत दरहम बरहम हो जाए। जो हमारा संविधान है उसके बिल्कुल खिलाफ ये काम करवाना चाहते हैं। इस वास्ते मैं इसके खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

डा० अम्बेदकर ने जब कांस्टीट्यशन को शक्ल दी उस वक्त कहा था कि हम मिडिल कोर्स एडाप्ट करना चाहते हैं, जम्हूरी निजाम के मुताबिक करना चाहते हैं। हमें हर बात में दूसरे देशों की नकल नहीं करनी है बल्कि अपने हालात के मुताबिक हम को अपने कांस्टीट्यशन को बनाना है। जहां तक चीफ जस्टिस एप्वाइंट करने की बात है साफ तौर पर यह कहा गया है कि यह अधिकार प्रेजीडेंट को होगा। लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि यह जरूर है कि जजों के एप्वाइंटमेंट के लिए चीफ जस्टिस को कंसल्ट किया जाए। वाजपेयी जी ने जो यह कहा है कि कांस्टिट्यूशन साइलेंट है, यह गलत बात है। ये दोनों चीजें क्लीयर ली लिखी हुई हैं। परम्परा जो अभी तक कायम है उसको तोड़ने के लिए आप क्यों कह रहे हैं?

साफ इसमें लिखा हुआ है कि प्रेजीडेंट को अधिकार है कि वे चीफ जस्टिस को एप्वाइंट करें और जजों को एप्वाइंटमेंट का जहां तक सम्बन्ध है, चीफ जस्टिस को कंसल्ट किया जाए। चीफ जस्टिस की एप्वाइंटमेंट के लिए यह कहना कि जो चला आता है नीचे उसको ले लो फिर वह चाहे किसी भी हालत में हो, शारीरिक तौर पर फिट न हो, किसी भी अवस्था में हो, उसको ले लो और यह चलता रहे तो हम इसके विरुद्ध हैं। हमारा समाज बदला है। आज का समाज गुजरे हुए कल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। 1947 के बाद से उसमें बहुत तबदीली आई है, सोचने में आई है। मुल्क डिवेलपमेंट की तरफ बढ़ा है। बिल्कुल रिजिड तौर पर हम सोच नहीं सकते हैं। काम कर नहीं सकते हैं। उससे हम पीछे पड़ जाएंगे। देश में हालात बदले हैं, लोगों के सोचने में फर्क आया है और आगे और ज्यादा आयेगा। जैसे जैसे मुल्क आगे बढ़े समाज में तबदीली आनी चाहिए, खयालात में तबदीली आनी चाहिये और जो उन खयालात का इंटरप्रेटेशन करने वाले हैं वे अगर इस तबदीली को नहीं देखते हैं—मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता—तो किया क्या जाए, यह सवाल है। कितने ही मैशर्ज़ को स्ट्रक आफ किया गया है। कांस्टीट्यशन में वाजह तौर पर कहा गया है कि हम चाहते हैं कि जो दलित लोग पिछड़े हुए लोग हैं, बैकवर्ड लोग हैं या ऐसे इदारे हैं जिनको पीछे फेंका हुआ है, उनको आगे लाने के लिए, उनको डिवेलप करने के लिए क्या क्या चीज करनी चाहियें। अब उसके रास्ते में रुकावटें पड़ी हैं। फलसफे का कोई सवाल नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो स्टेटस को के हक में हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। देश में आज फ्लड्ज आए हुए हैं। एक नाला निकालना है। अगर एक आदमी जाकर कहता है कि यह नाला नहीं निकलने दूंगा और गलत तौर पर कहता है और उस मामले का छः साल तक फैसला नहीं होता है तो

[श्री दरबारा सिंह]

क्या अन्दर ही अन्दर कोई फलसफा काम नहीं कर रहा होता है । स्टेटस को जो चाहते हैं फिर वह इलाका चाहे सारा खराब हो जाए, उनका क्या किया जाए । ह बात का रिएक्शन होता है । कोई भी ऊपर से गिरा हुआ नहीं है, गाड नहीं है । ऐसी बात नहीं है कि कोई चीज किसी के दिमाग पर रिएक्ट नहीं करती है । हर चीज का रिएक्शन हर किसी पर होता है । उनके अपने सोचे समझे हुए कुछ खयालात हैं, उन खयालात का इजहार वे अपनी जजमेंट्स में करते हैं, इस में शक नहीं है । इसको हम देख रहे हैं । आप चाहते हैं कि स्टेटस को जो कायम है, जो उसका इजहार करते हैं, जो राती बोसीदा फिलोसोफी है, उस पर चिपके रहना चाहते हैं और उनके मुताबिक फैसले करना चाहते हैं तो उसके हक में हम नहीं हैं, आप हो सकते हैं । इंडिपेंडेंट तौर पर कोई चीज करें, इसमें कोई दो राय नहीं हैं । देश को आगे ले जाने के लिए तो नियत जरूरी चीजें दिखाई देती हैं वे तो होनी ही चाहिये । हम यह नहीं कहते हैं कि फैसला इस तरह से नहीं इस तरह से करो । उनकी इंडिपेंडेंस में भी कोई दखल देना हम नहीं चाहते हैं, कतई नहीं चाहते हैं । लेकिन हम यह जरूर चाहते हैं कि आदमी समाज को समझे, देश को बनाने के लिए डा० अम्बेदकर ने सब से ज्यादा कोशिश की है और कहा है कि सभी हिंदुस्तान के लोगों को एक लेबल पर खड़े करने की जरूरत है और ऐसा करने के लिए जो भी फैसले हों, इसके अनुरूप होने चाहिये न कि खिलाफ ।

वाजपेयी जी कल कह रहे थे कि मैं मनु स्मृति को नहीं मानता । इसको सुन कर हमें आश्चर्य हुआ । पता नहीं बाहर मानते हैं या नहीं । लेकिन हां कहा कि वे उसके खिलाफ हैं, इसको नहीं मानते हैं । अगर नहीं मानते हैं तो अनटचेबिलिटी खत्म होनी चाहिये ।

आज व यह क्यों कहते हैं ? इसलिए कहते हैं कि देश आगे बढ़ा है, पुराने खयालात में से निकल कर आगे बढ़ा है । इसको और आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते जाना है । अगर आगे देश निकलना चाहता है तो स्टेटस को के हक में कतई कोई नहीं हो सकता है । स्टेटस को हमें पीछे की तरफ ले जाता है, हमारे भविष्य को रोशन बनाने के बजाय तारीक बनाता है । हम यह नहीं चाहते हैं । इन अलफाज के साथ मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं ।

MR. CHAIRMAN: The time allotted for this Bill is two hours. So, we have to finish it today. But the list of members who want to speak contains many names. So, do you want the time to be extended?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH): Sir, I consulted some of the leaders who are present here. The consensus is that we may extend the time for this Bill by two hours.

SHRI P. K. DEO (Kalahandi): Mr. Chairman, prior to Shri Vajpayee's Bill, in 1971 I tabled a similar Bill, namely, Bill No. 74 of 1971, in the Statement of Objects and Reasons of which I had stated:

> "The Constitution of India does not lay down any procedure for the appointment of the Chief Justice of the Supreme Court....The appointment of the Chief Justice of the Supreme Court is within the discretionary power of the President who acts on the advice of the Council of Ministers. It is therefore, high time that the procedure for the appointment of Chief Justice of the Supreme Court is laid down."

So, as early as 1971 I had anticiapted the things to come. We knew very well the Sinister motives of the Government to scuttle the rule of law and rob the independence of the judiciary in the Constitution. Now the events have unfolded themselves. You will appreciate that it is now time to have a healthy convention. The healthy conventions of the past were thrown to the winds by the ruling party when three Supreme Court Judges were superseded and a junior Judge was appointed as Chief Justice and the entire thing was kept a secret till the 25th of April, 1973. I may say subject to correction that the retiring Chief Justice, Shri Sikri, had also recommended to the Government that his successor should be Justice Shelat.

Here I would like to point out a coincidence of incidents. The judgment in the great constitutional case was delivered just a day before the appointment of the Chief Justice. While the hearing was going on, both the Attorney-General and the counsel for Kerala Government said in the open court that the alternative would be a political solution." We have now seen what was the political solution they had in view.

The injustice to the three individuals who have been passed over is of minor significance. What is important is the principle involved. This action of the Government evoked spontaneous anger and disgust throughout the country, as has been manifested by the boycotting of the courts by the practising lawyers and the near-unanimous resolutions passed by every Bar Council in this country condeming the action of the Government.

The question is whether the appointment of Justice Ray was on considerations of calibre, merit and seniority as compared to the three superseded Judges or whether it was a question of sacrificing three independent judges at the altar of expediency because of their independent views and intellectual integrity.

On the 24th of April the Supreme Court held by a majority judgment in that marathon Constitutional case that Parliament had no power to amend the Constitution in such a way as to alter the basic structure of the framework of the Constitution. The contention of the Government was rejected by the majority of the Judges, including these three Judges. Prior to this, in the Supreme Court case No. 148 in March 1972 in the case Raj Narain Vs. Indira Nehru Gandhi Justice Hegde held that the lower court, that is, the Election Tribunal, is wrong in striking out issue No. 1 and ordered the Election Tribunal to reframe the issue. The issue was the resignation of Mr. Yashpal Kapoor who was the election agent of Mrs. Indira Gandhi. The resignation was accepted on the 25th June, 1971 by the President as notified in the Gazette of India of 6th February, 1971. But the trial judge gave it a retrospective effect from 14th June. Against the decision of the Election Tribunal, Mr. Raj Narain went to the Supreme Court. According to the decision of the previous case of Raj Kumar vs. the Union of India, the date of resignation of service has to be determined from the date on which it is accepted by the appropriate authorities. Accordingly, the resignation of Mr. Yashpal Kapoor should be taken to have taken effect from 25th January. That will invalidate the election of Mrs. Indira Gandhi to the Lok Sabha. Not only that. It will, further, bar her to contest the elections because of having resorted to mal-practices and corrupt practices under Section 123 of the Representation of People's Act. This must have piqued the Prime Minister.

Another reason for the supersession of three Judges and the appointment of Justice Ray as the Chief Justice of the Supreme Court is this. Now, the question arises about the constitution and the composition of the Constitution Bench. The Special

[Shri P. K. Deo]

Bench has enunciated the law so far as the Parliament's Power is concerned. So, to give interpretation or to come to a decision on the various issues that have been raised in the Swami Keshvanand, Bharati's case, a Constitution Bench has to be formed. Who is to form a Constitution Bench? The Chief Justice of the Supreme Court is the proper authority to form a Constitution Bench. So, to get a decision in their favour, they appointed the Chief Justice of their own choice. That is why the Government thought it fit at this opportune moment to appoint him so that the dice could be loaded in their favour. When the issues have not been decided, even though the law has been formulated, they decided that they must have a Chief Justice of their own choice.

Another reason, according to me, is that there is the criminal contempt of court proceedings pendings against late Shri Mohan Kumaramangalam and Shri S. S. Ray in the Supreme Court, thereby putting them in a very difficult position with a possibility of imprisonment.

So, taking all this into consideration, it must have weighed on the Government to have a Chief Justice according to their own choice.

In this country, the ruling party is in the habit of maligning the court and they find convenient scape-goats in the judiciary for their various failures and lapses. Recently, Shri Shankar Dayal Sharma, the President of the Congress Party, has been served a notice by the Bombay High Court for his public utterances, denigrating the judiciary. Taking all these things into consideration, the whole thing has been done in a very hush-hush manner. It is an unpleasant duty of ours that we shall have to say all these unpalatable things.

Now, the convetions have been cited. Every country has its own conventions. In this country, for 25 years after Independence, we created a convention that the senior most judge would be the Chief Justice of the Supreme Court. There has been only one departure—in the case of Mr. Justice Imam who was incapacitated due to a stroke and the loss of power of speech. In UK also they have their own convention. The Attorney-General is first offered to become the Chief Justice. So, that practice is followed in that country. There has been only one departure in the case of Marrington Buller when he could not be appointed as the Chief Justice as the retiring Chief Justice Lord Goddard stood in the way. So far as Australia is concerned, there is a similar convention but they even go a step further that while appointing the Chief Justice, they appoint the next Chief Justice also so that he can get sufficient length of time. This thing has been cited by the previous speaker also. But I would like to point out that in this case if Mr. Justice Grover would have been appointed, he would have retired much after Mr. Justice Ray. So, there is absolutely no justification to supersede Justice Mr. Grover on this account.

The question of administrative ability was mentioned by Mr. Goswami in this regard. I would like to mention that two of these three superseded Judges were Chief Justices of High Courts. One was the Chief Justice of the Delhi High Court and the other was Chief Justice of the Gujarat High Court.

While making various apologies and giving explanations, Mr. Gokhale cited the Law Commission and he cited a truncated and mutilated version of the Law Commission's report so as to suit his convenience. The very fact that even the very members and the Chairman of the Law Commission like Mr. Setalvad and members, Mr. Sikri Mr. Palkhiwala and Mr. Chagla have all condemned this action of the Government goes to prove that the Government have not

gone deep into the matter and they have not considered all the aspects of the Law Commission's report and rather they picked and chose whatever suited them. On the other hand I appreciate the assertion of the late Mr. Kumaramangalam though we differed from him on various points. He called a spade a spade. He never minced his words. He stated that the Chief Justice would 'help' the Government and his 'political philosophy is most suitable from the executive view point'.

Judges during pre-Independence days used to adjudicate cases and controversics between private persons but after Independence and after the involvement of the State in various socio-economic fields, most of the cases are against the Government and when Government itself is a party in the case, how can the Government be an appointing authority?

SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad): It is a repetition of what Mr. Vajpayee has said.

SHRI P. K. DEO: The hon. Member was not here.

SHRI PILOO MODY (Godhra): What do you people say all the time anyway: "under the dynamic leadership of Shrimati Indira Gandhi and the Deputy Leadership of Mr. A. P. Sharma?

SHRI P. K. DEO: So when Government is a party, it makes my case still stronger that there should be an independent judiciary which should be properly insulated against all kinds of pressure from the Government and not to give the so-called 'help' to the Government. A Judge once elevated to that high pedestal should shed his political philosophy and be upright and independent and should have his own freedom judgment. We do not want our courts to be Star Chambers of the kings.

Very often it is stated by the Treasury Benches that it is the prerogative of the Government to appoint the Chief Justice. The word prerogative itself is feudal and it could be used only by kings, dictators and fascists and I am surprised that those who swear by democracy and by socialism repeat such words. It is only typical of the communist countries, to speak of committed judges. A judiciary committed to the particular philosophy of one party is possible only in the party system, only if there is only one party rule. There is no possibility of having a second party there. There can be committed judges there. Where there are different parties, where there can be change of Governments, how can we expect this thing to happen? Do you want him to be a chemillion to change secording to the political philosophy of the party in power? In our country especially we have got a federal set up and there are States where the party in power is quite different from the party in power at the Centre. There are different parties in different States and how can you expect that the judge or Chief Justice of that High Court will subscribe to the political philosophy of any particular party? I would like to quote a sentence from Mr. Palkhivala. He said:

> "A committed judge is a contradiction in terms You cannot have a committed judge any more than you can have boiling ice cream. Either a man is committed or he is a judge in the true sense. He cannot be both."

I quote from "Supersession of Judges" by Kuldip Nayar. He said:

> "At the time of oath-taking ceremony Kumaramanglam went to Ray and told him "Such posts are a reward for political services rendered." Ray replied: "I don't recall rendering any poitical service to any body except to truth and Justice."

SHRI B. P. MAURYA (Hapur): He is not here to reply, this is not fair.

SHRI P. K. DEO: I want this to be contradicted. Mr. Kumaramangalam is not here, but I hope somebody from the Treasury Benches could contradict it. Gone are the days of Pandit Jawaharlal Nehru who as early as 1951 when Patna High Court have an adverse decision in regard to the Bihar Zamindari Abolition Case, wrote to the Chief Ministers of States as follows:

> "It is obvious that the interpretation of the Constitution is the function of the superior courses. We have to respect the decisions of the Courts for, not to do so, is to strike at the very root of our constitutional structure."

With these words, I fully support the Bill which has been moved by Shri Vajpayee.

17 Hrs.

श्री वसन्त साठे (अकोला) : सभापति जी, आज जो यह विधेयक श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहां प्रस्तुत किया है, देख कर हमें सचमुच आश्चर्य होता है कि वाजपेयी जी सरिखे विद्वान ने केवल राजनीतिक उद्देश्य से भरे हुए इस विधेयक को यहां पेश किया। इस के बारे में जितनी चर्चा होनी चाहिये थी, वह तो पिछली दफा हो चुकी है, अब पुन: इस को यहां ला कर फिर से उसी बात को जिन्दा करने का प्रयत्न किया जा रहा है । पिछली चर्चा को दृष्टि में रखते हुए तो उन्हें ऐसे बिल को लाना ही नहीं चाहिये था। मेरी समझ में यह बात नहीं आती—यदि इस बिल को जिस रूप में यह लाया गया है, वैसा ही मान लिया जाय तो वे खुद इस बात को मानते हैं कि इस से कुछ ऐसी तर्कहीन बातें निर्माण होंगी, ऐसी परिस्थिति निर्माण होंगी, जिसमें यदि कोई सुप्रीम कोट का न्यायाधीश, उस की सेहत के कारण, मानसिक किसी दोष के कारण अपात्र हो, फिर भी उसे सुप्रीम कोट का जज बनाना होगा। वह कहते हैं कि वह खुद इस्तीफा देगा। जो व्यक्ति मानसिक दृष्टि से अपात्र हो यदि उसे इस्तीफा देने का ख्याल न आये तो फिर क्या किया जाये। लेकिन वाजपेयी जी के इस प्रावधान में अपवाद की भी कोई गुंजाइश उन्होंने नहीं रखी। इस विधेयक में जहां तक शुद्धता की बात है, मैं तो इस में कोई तर्क नहीं देख पाता हूं।

इस के पीछे जो उद्देश्य है—उस के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि यह बिल इस लिये लाया गया है कि पिछले समय यह बात साफ हो गई थी राजकीय उद्देश्य को सामने रख कर सरकार नियुक्ति करती है और नियुक्ति करेगी, ऐसी हम को आशंका है। इस से जजेज की जो स्वतन्त्रता है, उस पर कुठाराघात होगा। आप देखिये—इस के सम्बन्ध में हमारे स्वर्गीय कुमार मंगलम का कथन क्या था। उन्होंने जो तर्क यहां पेश किया था, जिस दर्शन की उन्होंने यहां बात की थी—यद्यपि वाजपेयी जी ने उस को तोड़-मरोड़ कर यहां पेश किया और कहा कि सरकार का समर्थन करने की बात उन्होंने कही थी—मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। उन्होंने कहा था —"जब हम फिलास्फी की बात कर रहे हैं तो किसी पार्टी की फिलास्फी की बात नहीं कर रहे हैं। जिस बात की आप शपथ लेते हैं, जिस सिद्धान्त के लिये निष्ठा बतलाते हैं, उन सिद्धान्तों की, उन तत्वों की, उन मूल्यों की हम बात कर रहे हैं।"

आप देखिये—यह झगड़ा कहां से शुरू हुआ। गोलखनाथ केस से लेकर, उस के पहले भी कुछ केसेज हुए हैं और उस के बाद भी लगातार हुए हैं। जब यह देखा गया कि जो मूलभूत उद्देश्य हैं, उन को देख कर, उन को सामने रख कर, उन से निष्ठा रखते हुए भी जेजज न्याय-दान नहीं करते हैं, तो फिर सरकार और देश का

पार्लियामेन्ट के सामने यह सवाल पैदा हुआ कि अब हमें क्या करना चाहिये ।

आप देखिये—धारा 37 में कहा गया है— "इस भाग में दिए गए उपबन्ध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होंगे, किन्तु तो भी इस में दिए हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्त्तव्य होगा ।"

यदि राज्य का कर्त्तव्य इन मूलभूत तत्वों के अनुसार कानून बनाना होगा तो क्या न्यायालयों का कर्त्तव्य इन तत्वों को सामने रख कर न्याय देना नहीं होगा ? ये फण्डामेन्टल हैं. . . . .

SHRI PILOO MODY: Fundamental in the governance of the country.

SHRI VASANT SATHE: And also fundamental in the judgments to be given, as a guideline.

आप धारा 39 को देखिये—

"राज्य अपनी नीति का विशेषतया ऐसा संचलन करेगा कि सुनिश्चित रूप से—

(क) समान रूप से नर और नारी सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो :

(ख) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो कि जिस से सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो :

(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिस से धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिये अहितकारी केन्द्र न हों :

आप देखिये कि जो जो कानून आप ने बनाये, जिन कानूनों का उद्देश्य इन मूलभूत उद्देश्यों की पूर्ति था—आप ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण का कानून बनाया, राजा-महाराजाओं के जो विशेषाधिकार थे उन को छीन लेने या उन पर रोक लगाने का कानून लाये तो इन न्यायालयों ने, इन उद्देश्यों का उन्हें ज्ञान होते हुए भी, क्या निर्णय दिया, हमेशा इन उद्देश्यों इन मूलभूत अधिकारों के विपरित निर्णय दिया ।

धारा 19 में केवल एक अधिकार था, जिस को बड़ा नाजायज़ महत्व दिया गया, जिस में यह कहा गया है —"सब नागरिकों को—सम्पत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन का —अधिकार होगा ।" यह जो अधिकार यहां दिया गया है, उस की पूर्ति के लिये धारा 39 में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है । लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने वहां बैठ कर यह कहा कि नहीं यह उस मूलभूत अधिकार के खिलाफ है जो 19 में दिया गया है, इस लिये हम इसे रद्द करते हैं ।

श्री पीलू मोदी : पार्लियामेन्ट को ऐसा कानून पास ही नहीं करना चाहिये था, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती ।

सभापति महोदय : आप उन से कुछ न कहिये, मझ से कहिये ।

SHRI PILOO MODY: Will you convey faithfully what I want to say to him?

MR. CHAIRMAN: Absolutely.

श्री वसंत साठे : सभापति जी, पीलू मोदी जी को मालूम नहीं है—कल ये कह रहे थे कि मुझे "पथ प्रधान" बना दो। यदि ये बन जाय तो धारा 39 की पूर्ति कैसे करेंगे। ये जितने कानून बनायेंगे, न्यायाधीश उन को रद्द कर देंगे।

SHRI PILOO MODY: What is 'Panthpradhan'?

MR. CHAIRMAN: It means 'Prime Minister'.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Why does he not include article 39 in the Chapter on Fundamental Rights?

SHRI VASAN SATHE: Would my hon. friend do that?

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Would he also do that? Let him not take shelter behind the courts.

SHRI PILOO MODY: His party has the two-thirds majority.

श्री वसंत साठे : तर्क यह है कि ये जो सारी कठिनाइयों का निर्माण हुआ है, उस में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने बारबार इस तरह के निर्णय दिये, जिन निर्णयों से या कानून के जो उद्देश्य हैं उन की पूर्ति होना असम्भव हो गया और इस तरह से वे उस शपथ के प्रति ईमानदार नहीं रहे, जो शपथ उन को लेनी होती है—यह शपथ शेड्यूल 3 में दी गई है— उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों...द्वारा की जाने वाली शपथ :

"मैं......अमुक........, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुआ हूं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, तथा मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धा-पूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा, तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।"

मेरा यह कहना है कि शपथ लेने के बाद जो न्यायाधीश मूलभूत कानून के सामने जस्टिशि-एबिल न हो, पर मूलभूत तो वह है जो 39 में दिए गए हैं उन मूलभूत हकों का जो संरक्षण न करे न्यायाधीश जो समयिदार लोग पूंजीपति लोग और देश को लूटने वाले लोगों के पक्ष में न्यायदान करे तो क्या वह ईमानदार है इस घटना के साथ ? तो फिर क्या प्रेसीडेन्ट को जो अधिकार दिया गया है नियुक्ति करने का उसमें प्रेसीडेन्ट यह न देखे कि कौन से न्यायाधीश—जो आज तक उन्होंने निर्णय दिए हैं उनको सामने रखते हुए —कौन से न्यायाधीश का दृष्टिकोण वृत्ति दर्शन, प्रवृत्ति और बुद्धि की मर्यादा किस प्रकार की है जिससे संविधान में जो उद्देश्य दिए हैं उनकी वह पूर्ति कर सके ? ऐसे ही न्यायाधीश को मुख्य न्यायधीश बनाना चाहिए, ऐसा यदि इस देश का राष्ट्रपति सोचे तो उसमें गलत क्या है ? और यह अधिकार संविधान ने राष्ट्रपति को दिया है तो उसमें डर क्या है ? (व्यवधान)

मैं आखिरी बात कह कर अटलजी के तर्क का खंडन करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हमें डर है, चीफ जस्टिस के एप्वाईंट-मेन्ट को प्रेसीडेन्ट पर नहीं छोड़ना चाहिए। (व्यवधान) घटना में प्रेसीडेन्ट को ही अधिकार है एप्वाईंट करने का। तो आप मुझे बतायें बाकी के जजेज के जो एप्वाइन्ट-मेन्ट किय जाते हैं, राज्यों में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उनको करते समय आज के कानून के अनुसार यह कहा गया है कि जहां पर प्रेसीडेन्ट को आवश्यक लगे, वहां वे सलाह लेंगे लेकिन

[श्री वसंत साठे]

उन पर यह बन्धन तो नहीं है कि उस सलाह को उन्हें मानना ही होगा या उसी व्यक्ति को नियुक्त करना पड़ेगा। आज भी नियुक्तियों के सम्बन्ध में कई उदाहरण दिए गए कि अभी तक अनेकों बार कनिष्ठ न्यायाधीशों को वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, अनेकों राज्यों में ऐसा हुआ उस वक्त शिकायत नहीं की कि न्यायपालिका की स्वतन्त्रता नष्ट हो जायेगी तो फिर अब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में जबकि घटना में राष्ट्रपति को नियुक्ति करने का अधिकार है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं ? वास्तव में हो यह रहा है, चूंकि ऐसे लोग जो जानबूझ कर घटना के खिलाफ काम कर रहे थे, न्यायादान का भ्रष्टाचार कर रहे थे, ऐसे लोगों को मुख्य न्यायाधीश न बनाते हुए सुपर्सीड कर दिया गया और मैं तो कहता हूं, सरकार कहे या न कहे, जिन लोगों ने जानबूझ कर पूंजीपति, सर्मायेदार जोकि प्रगतिशील कदमों में रोड़ा अटकाने की बात करते थे उनका पक्ष लिया तो ऐसे न्यायाधीशों को हटा दिया, उन पर यह विश्वास नहीं किया कि वे मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं इसलिए सरकार ने इसमें कोई अनुचित बात की, ऐसा मैं नहीं मानता। उल्टे अगर सरकार यह न करती तो अनुचित होता। इसलिए आपकी कोई भी बात बन नहीं पाती। इस देश की सारी जिम्मेदारी पार्लमेन्ट पर डाली है जिसको जनता ने चुना है कि वह ऐसे कानून बनाये जिससे देश आगे बढ़ सके, गरीबी अमीरी का फासला कम हो सके तो यह सारा काम कौन करेगा ? यह काम करने का अधिकार इस सदन को है जिसको लोगों ने चुना है। तो मेरा कहना है कि इसमें सरकार पर उत्तरदायित्व आता है कि न्यायाधीश भी ऐसे हों जोकि देश की प्रगति में रोड़े न अटकायें। यह सारे हमारे आगे बढ़ने के कदम हैं। इसलिए यह सारे तर्क जो दिए गए और यह भय दिखाया गया कि इससे जुडीशियरी की इन्डेपेन्डेन्स नष्ट हो जायेगी वह बिल्कुल निराधार है ऐसा मेरा कहना है।

ऐसी स्थिति में यहां पर यह जो विधेयक रखा गया है उसका कोई भी अर्थ नहीं है, वह बिल्कुल निरर्थक और बेबुनियाद विधेयक है और मेरा ऐसा विश्वास है कि यह सदन उसको रद्द कर देगा।

श्री बी० पी० मौर्य (हापुड़) : आदरणीय सभापति जी, जब जब इस सदन में, इस सदन के बाहर संविधान के चौथे अध्याय पर, यूनियन जुडीशियरी से सम्बन्धित चर्चा होगी तब स्वर्गीय श्री कुमारमंगलम् की याद अवश्य आयेगी।

दुनिया के जो मजे हैं हर्गिज यह कम न होंगे।

चर्चे यही रहेंगे अफसोस हम न होंगे।

वह मानवता का प्रतीक समाजवाद का द्योतक, समता से प्रेरणा लेकर जनतंत्र में विश्वास रखते हुए जनता को इन्साफ दिलाने वाला सेनानी आज हमारे बीच में नहीं है।

एक बिल हमारे मित्र श्री अटल बिहारी वाजपेयी लाये हैं कि संविधान के आर्टिकल 124 में संशोधन कर दिया जाये। आर्टिकल 124 के क्लाज (1) के बाद उन्होंने यह जोड़ने की बात कही है :

The seniormost judge of the Supreme Court of India shall be the Chief Justice of India.

इसके लिए उन्होंने तर्क दिए हैं। उनके दो तीन तर्क हैं। पहले उनका कहना यह है कि संविधान मौन है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति के ऊपर दूसरा उनका तर्क यह है कि उसमें एक एम्बिगयुइटी है और उससे सरकार अपने पक्ष को ज्यादा मजबूत करने के लिए ऐसे जज की नियुक्ति कर सकती है जो जुडीशियरी की अजादी को खतरा पैदा करे। मैं, यहां पर राजनीतिक भाषण जो

हुए उन पर न जाते हुए कुछ क्षणों के लिए संविधान तक ही सीमित रहूंगा संविधान की धारा 124 में है :—

Every Judge of the Supreme Establishment and the Constitution of the Supreme Court"
then he can be appointed as a Judge

यह सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से उसका निर्माण होगा इसी पर आधारित है ।

"There shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India, until Parliament by law prescribes a larger number, of not more than thirteen other Judges.

Every Judge of the Supreme Court shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal after consultation with such of the Judges of the Supreme Court and of the High Courts in the States as the President may deem necessary for the purpose and shall held office until he attains the age of sixty-five years."

"Provided that in the case of appointment of a judge other than the Chief Justice, the Chief Justice of India shall always be consulted."

संविधान निर्माताओं ने चीफ जस्टिस की अनुमति किस तरह से हो यह साफ किया हुआ है । इसके बावजूद भी बाजपेयी जी कहते हैं कि चीफ जस्टिस की नियुक्ति के बारे में संविधान मौन है । चीफ जस्टिस की किस तरह से नियक्ति होगी आर्टिकल को में उन्होंने कहा है :

Every Judge of the Supre Court".

यह कहना कि संविधान मौन है समझदारी से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

"Every judge" includes the Chief Justice also.

आगे चलकर संविधान ने इसको और साफ किया है । जहां तक कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति का प्रश्न है, राष्ट्रपति चीफ जस्टिस से मशविरा करें । प्रविसो दिया हुआ है :

"Provided that in the case of appointment of a judge other than the Chief Justice, the Chief Justice of India shall always be consulted."

जिस समय चीफ जस्टिस का एप्वाइन्टमेंट होगा उस समय चीफ जस्टिस को कंसल्ट नहीं किया जायेगा । बाजपेयी जी का कहना यह भी था कि चीफ जस्टिस को पूछा भी नहीं गया । संविधान में दिया हुआ है कि जिस समय जीफ जस्टिस की नियुक्ति होगी तो राष्ट्रपति के लिये यह गाईडिंग फैक्टर है कि वे चीफ जस्टिस से कोई मशिवरा उस समय नहीं लेंगे ।

चीफ जस्टिस की नियुक्ति के बारे में अगर बाजपेयी जी का तर्क यह है कि संविधान मौन है तो मैं कहूंगा कि इस कथन में सत्यांश कम है और राजनीति ज्यादा है । उन्होंने यह भी कहा कि यह जो नियुक्ति हुई है, राजनीतिक नियुक्ति हुई है । अब उस दल दल में मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता । बहुत चर्चा इस पर हो चुकी है । मैं नहीं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का एक विशेष स्थान हमारे देश के संविधान में है, उसके बारे में इस तरह के शब्द आयें कि जिससे हमारी कंट्रोवर्सी और बढ़े । यह तर्क उस समय भी उनका था जिस समय पहले चर्चा हुई थी । सीनियर मोस्ट को बनाने की परम्परा रही है, यह उनका कथन था । मैं संविधान की धारा 126 को

कोट करना चाहता हूं कि किस तरह से चीफ जस्टिस की नियुक्ति होगी :

"When the office of the Chief Justice of India is vacant or when the Chief Justice is, by reason of absence or otherwise, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such one of the other judges of the Court as the President may appoint for the purpose."

So, any of the judges can be appointed as the acting Chief Justice.

ये तर्क तो कभी सुप्रीम के जजों से भी नहीं रहे। जो इस चर्चा में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते रहे हैं उन्होंने भी सीनियरिटी के क्राइटीरिया को नहीं रखा है। पहले भी अटल जी के दिमाग में यही था कि जो सीनियर मोस्ट हो वही चीफ जस्टिस होना चाहिये और अब भी जो वह यह बिल लाये हैं तब भी उनके मन में यही विचार बहुत तेजी से आ रहा था कि सीनियर मोस्ट जज जो हो वही बने। संविधान की धारा 124 में जो लाइन वह जोड़ना चाहते हैं ऐसा अगर मान लिया जाये तो 126 धारा को वह एक दम काट डालेगी, उसके खिलाफ जाएगा : जो बिल वह लाये हैं वह सेल्फ कंट्रेडिक्टरी है, सेल्फ डिफीटिंग है। जब तक आर्टिकल 126 को न छुआ जाये उनके बिल के आधार पर आर्टिकल 124 का संशोधन नहीं हो सकता है।

सीनियारिटी के बारे में एक और तथ्य मैं कह देना चाहता हूं। अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में चर्चा हो रही थी और यह हो रहा थी कि किस को बनाया जाये, किस तरह से बनाया जाये तो इस चर्चा में श्री कामत ने एक संशोधन रखा था कि यही नहीं कि एक वकील को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाये, यही नहीं कि हाई कोर्ट में से सुप्रीम कोर्ट में बनने के लिये जज चुने जायें बल्कि उन्होंने रखा था कि अगर कोई जाना माना जूरिस्ट है, देश में विशेषज्ञ हैं, देश में विशेषज्ञ है तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। उनके इसी सुझाव पर आर्टिकल 124 में सब क्लाज सी जोड़ा गया था :

"is, in the opinion of the President, a distinguished jurist".

then he can be appointed as a Judge of the Supreme Court.

अगर सीनियारिटी को ही क्राइटीरिया माना गया होता तो पूरे संविधान के इन आर्टिकल्स में जो हम देखते हैं उनको न देखते। सीनियारिटी को क्राइटीरिया नहीं माना गया है। दो तर्क बहुत तेजी के साथ दिये गये हैं। जहां तक राजनीतिज्ञ बातों का सवाल है एक बात मैं कहूंगा। परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि देश में आजादी के आने पर इस देश में तीन तरह की गुलामी थी, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। 15 अगस्त, 1947 को देश आजाद हो गया उसके बाद जो बालिग थे, स्त्री पुरुष, बूढ़े जवान, गरीब, अमीर, पढ़े लिखे, किसी भी धर्म, जाति और भाषा के सम्बन्ध में रखते थे, सब को बराबर के राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो गये। इस तरह के रानजीतिक विषमता तो समाप्त हो गई। लेकिन संविधान लागू होने के बाद भी आर्थिक और सामाजिक बाराबरी, आर्थिक और सामाजिक विषमता है। आज सुप्रीम कोर्ट के 23 साल के फैसलों को उठा कर देख लें। जिस समय व्यक्ति विशेष की आजादी की बात आती है उस समय फैसले कुछ और होते हैं लेकिन जिस समय आर्थिक विषमता दूर करने की बात आती है, सामाजिक विषमता दूर करने की बात आती है उस समय वही विशेष शक्तियां, वही सत्ताधारी लोग, वही लोग जिनके पास धन है, समाज में सम्मान

(श्री बी० पी० मौर्य)

है, उनके हक में ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के फैसले आपको मिलेंगे। चाहे कोई भी सरकार हो, हमारी हो या लिमये जी की ही पार्टी की हो या किसी भी दूसरी पार्टी की हो या आगे बने जहां तक संविधान के इन्टरप्रेटेशन का सवाल है, ऐसे जजों की नियुक्ति होनी चाहिये जिनके सामने हमेशा यह ध्यान रहे कि यह देश जनतंत्रीय है और जनता को ध्यान में रख कर, सामाजिक, आर्थिक विषमता को दूर करने के लिये कानूनों का उन्हें इन्टरप्रेटेशन करना है। इन विचारों वाले जजों की जब तक नियुक्ति नहीं होगी तक तक देश का शोषित सर्वहारा समाज आगे नहीं बढ़ सकेगा। संविधान शोषितों के लिये बना है, जनता के लिये बना है न कि जनता संविधान के लिये बनी है। जनता के हित में संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है लेकिन संविधान के लिये जनता को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता है। यह सदन अगर इसको सामने रखेगा तो कोई भी आपस में बहस नहीं होगी, सारी बहस समाप्त हो जाती है। तब इस बिल की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती है।

श्री मधु लिमये (बांका) : जो बहस एक दफा यहां हो चुकी है उसे मैं दोहराना नहीं चाहता। हम लोगों को विचार यह करना है कि न्यायालयों की स्वतन्त्रता को बनाए रखते हुए हमारे जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिज्ञ उद्देश्य हैं उनको किस तरह प्राप्त किया जाए और न्यायालय के कामकाज में जो त्रुटियां हैं उनको कैसे दूर किया जाए। इसलिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के सवाल के बारे में मेरे सवाल से हम लोगों को नए सिरे से विचार करना चाहिए।

एक बहस को यहां पर ख्वामख्वाह छेड़ दिया गया है। मेरी राय में वह नकली बहस है। एक मौलिक अधिकार बनाम निदेशक सिद्धांत। दूसरी नकली बहस न्यायालय बनाम पार्लिमेंट और कार्यपालिका। ये दोनों नकली बहस हैं। मेरे से पहले श्री साठे साहब ने अपना भाषण दिया।

उन के कहने का यह मतलब था कि जब हम निदेशक सिद्धांतों पर अमल करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उस में बाधा डालती है। लेकिन मैं श्री साठे से पूछूंगा कि क्या वह सचमुच यह समझते हैं कि निदेशक सिद्धांतों के कार्यन्वयन में सुप्रीम कोर्टकी ही बाधा है। मैं समझता हूं कि सिर्फ सर्वोच्च अदालत नही कार्यपालिका और जिस पालियामेंट या कार्यपालिका का विशाल बहुमत है, उन का प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण हीसब से बड़ी बाधा है।

MR. CHAIRMAN: The hon. Member may continue on the next occasion. As the time has been extended for this debate, this debate will go over to the next session.

17.30 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

DEVELOPMENT OF NUCLEAR WEAPONS FOR DEFENCE OF THE COUNTRY

MR. CHAIRMAN: We now take up the Half-an-Hour Discussion. Shri Samar Guha.

SHRI SAMAR GUHA (Contai): Mr. Chairman, Sir, it is a matter of surprise as also apprehension that when such an important subject, the development of nuclear weapons for defence of the country, is being discussed on the flor of the House, none of the senior Ministers, either Shri Jagjivan Ram or Shri Vidya Charan Shukla, is present here.

THE MINISTER OF STATE (DEFENCE PRODUCTION) IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): I am here.

SHRI SAMAR GUHA: Sir, when ever there is any news about the nuclear blasts in China or about China's capability of making inter-